न्यायालय

वाद संख्या 40/2019 धारा-136 LR Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/4/19	यह प्रार्थना पत्र राज० सरकार बनाम तहसीलदार फागीराम की ओर से अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अभियोगी की जारी लेकर दिनांक-16/4/19 को पेश हो।	नोटिस जारी 1983-2023 5/4/19
		उप खण्ड अधिकारी फागीरामगढ (जयपुर)	
	16/4/19	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उप०। अभी नोटिस तामील होकर प्राप्त हुई। अवलोकन करने पर अभियोगी ने नोटिस लेने से इन्कार किया है। चस्पादगी से तामील करवाई गई इसलिए पेशकार हेतु दिनांक 10/7/19 को पेश हो।	
		उप खण्ड अधिकारी फागीरामगढ (जयपुर)	
	10/7/19	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उप०। अभियोगी बाबूलाल अचला आज भी उपस्थित नहीं। तहसीलदार फागीरामगढ ने प्रस्तुत प्रा० पत्र में अंकित किया कि वर्तमान में तहसील फागीरामगढ में सेटलमेंट का कार्य चल रहा है। सेटलमेंट के दौरान ग्राम कावनी तहसील फागीरामगढ (जयपुर) की पंचायती संपत 2070-73 के खाते की जांच की गई तो पाया कि खाता सं० 69 के ख० नं० 74 रकबा 0.72 है के खातेदारों के हिस्से सही नहीं है। खाता नं० 298 के ख० नं० 21 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा ग्राम अधिकारी का मिलान मिसल बन्दोबस्त	

उप खण्ड अधिकारी

सरकार बनाम जोगन लाल वगै

नाम न्यायालय

केस संख्या 40/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि
		संवत 2020 से मिलान करने पर हिस्सा सही दर्ज नहीं है जो तेजीग्रेशन में पाबन्दी की प्रवृष्टि को दुरुस्त करना आवश्यक है अतः राजस्व कार्यकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत खसरा नं. 74 रकबा 0.22 है. के सही हिस्सा दुरुस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे। आवेदन वादकृत सूचना के अनुपस्थित होने से पेशकार साहब ने पटवारी, निरीक्षक हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट 8/7/19 पेश की जिस रवाईशाते के हवाला कर करने से मना किया है। पेशकार साहब की बहस सुनने व फर्द मौका रिपोर्ट पर मनन करने के उपरान्त राज्य सरकार की योजना DI LRMP के तहत व RT Act की धारा 88 के तहत पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर हिस्सा दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें। तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्णय व फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति भेजी जावे। पत्रावली के पल्ले शुमार होकर नम्बर के बाद हो। बाद अदालत दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/7/19 को खुले न्यायालय सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.24 14:43:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: